बैंकों पर रीझ गए विदेशी निवेशक

एफआईआई की तरफ से खरीदे गए कुल इंडेक्स फ्यूचर सौदे बुधवार को 56,911 अनुबंध पर पहुंच गए

पुनीत वाधवा और रेक्स केनो
नई दिल्ली/मुंबई, 20 जून

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में आक्रामक तरीके से बैंकों के शेयर खरीदे हैं। यह जानकारी एनएसई के वायदा एवं विकल्प (एफऐंडओ) के कारोबारी आंकड़ों से मिली। अनुबंध के लिहाज से एफआईआई की तरफ से खरीदे गए कुल इंडेक्स फ्यूचर सौदे बुधवार को 56,911 पर पहुंच गए। इसमें अकेले बैंक निफ्टी का हिस्सा 56,593 अनुबंधों का है जबकि निफ्टी फ्यूचर का हिस्सा 3,028 अनुबंधों का है। कीमत के लिहाज से एफआईआई 19 जून को 4,356.46 करोड़ रुपये के इंडेक्स फ्यूचर के शुद्ध खरीदार रहे, जिसमें बैंक निफ्टी फ्यूचर के 4,307.54 करोड़ रुपये के अनुबंधों की शुद्ध खरीदारी शामिल है। एफआईआई ने बुधवार को निफ्टी फ्यूचर में 179.21 करोड़ रुपये जोड़े जबकि मिडकैप निफ्टी फ्यूचर में शुद्ध बिकवाल रहे।

परिणामस्वरूप निफ्टी बैंक इंडेक्स ने बुधवार को पिछले सर्वोच्च स्तर को पीछे छोड़ते हुए 51,957 की नई ऊंचाई को छू लिया और गुरुवार को उतारचढ़ाव भरे कारोबार के बीच अपना आधार बरकरार रखा। ऐसे में एफआईआई को बैंक शेयर क्यों लुभा रहे हैं और क्या यह रफ्तार कायम रहेगी?

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के निदेशक (इक्विटी) क्रांति बाथिनी के मुताबिक बैंकिंग व वित्तीय सेवा क्षेत्र (बीएफएसआई) भारत की वृद्धि के लिए मजबूत वाहक है। उन्होंने कहा कि एफआईआई को भारत की प्रगति की कहानी पर भरोसा है और यह क्षेत्र हमेशा से ही उनकी नजर में रहा है।

बैंकों के शेयर

बैंक	4 जून, 2024	20 जून 2024	बदलाव (%)
बंधन बैंक	177.3	208.2	17.4
फेडरल बैंक	154.7	178.9	15.7
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक	72.6	83.8	15.6
बैंक ऑफ बड़ौदा	248.3	285.2	14.9
एचडीएफसी बैंक	1,483.2	1,669.4	12.6
पीएनबी	115.4	128.5	11.4
इंडसइंड बैंक	1,391.5	1,527.9	9.8
ऐक्सिस बैंक	1,131.3	1,239.5	9.6
भारतीय स्टेट बैंक	775.2	843.8	8.8
आईसीआईसीआई बैंक	1,071.5	1,156.8	8.0
कोटक महिंद्रा बैंक	1,638.0	1,766.3	7.8
एयू स्मॉल फाइनैंस बैंक	628.8	666.8	6.0
निफ्टी-50	21,884.5	23,567.0	7.7
निफ्टी बैंक	46,928.6	51,783.3	10.3

स्रोत : ब्लूमबर्ग संकलन : बीएस रिसर्च ब्यूरो

उन्होंने कहा, इसके अलावा ये शेयर कुछ समय से सुस्त पड़े हुए थे। इसलिए वे उनको उठा रहे हैं। क्रेडिट में तेजी और आरबीआई की तरफ से अगले कुछ महीने में दरों में कटौती भी बैंक शेयरों की रफ्तार को बनाए रखेगी। 4 जून के 46,077 के निचले स्तर से (जब लोक सभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे) निफ्टी बैंक इंडेक्स 11 फीसदी चढ़कर बुधवार को पहली बार 51,000 के स्तर को छू गया।

ऐस इक्विटी के आंकड़ों के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक और बंधन बैंक इस अवधि में बढ़त हासिल करने में सबसे आगे रहे हैं और 4 जून के बाद से इनमें 12 फीसदी से लेकर 14.5 फीसदी तक का इजाफा हुआ है। मैक्वेरी के विश्लेषकों को बैंकों में प्राइवेट बैंक पसंद हैं और उन्हें लगता है कि अगले तीन साल में ये परिसंपत्तियों पर बढ़िया रिटर्न और इक्विटी पर 16-18 फीसदी के दायरे में रिटर्न दर्ज करेंगे। साथ ही ये बढ़त को गति देते रहेंगे।.

मैक्वेरी के सुरेश गणपति और पुनीत बहलानी ने हालिया नोट में लिखा है कि प्राइवेट बैंक संभावित क्रेडिट लॉस नियमन से कम प्रभावित हैं और उनके साथ आकस्मिक बफर भी रहता है। हमें उनकी परिसंपत्ति गुणवत्ता के परिदृश्य में कोई प्रतिकूलता नजर नहीं आ रही। दरों में कटौती के चक्र में देरी अल्पावधि में उनके शुद्ध ब्याज मार्जिन को सहारा देगा। पीएसयू बैंक इक्विटी पर रिटर्न में गिरावट देखेंगे क्योंकि क्रेडिट लागत सामान्य होने का असर पड़ेगा।

तकनीकी तौर पर निफ्टी बैंक इंडेक्स रोजाना के चार्ट पर 52,090 के प्रतिरोध स्तर को परख सकता है। सालाना फिबोनाची चार्ट के अनुसार ऊपर की ओर यह इंडेक्स 54,500 तक जा सकता है और अंतरिम प्रतिरोध करीब 53,300 व 52,100 है।

आईपीओ की कीमत खोज के लिए सख्त हुए नियम

खुशबू तिवारी
मुंबई, 20 जून

किसी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम की सूचीबद्धता के दिन शुरुआती कीमत की गणना से जुड़ी प्रक्रिया पर बाजार नियामक सेबी ने अतिरिक्त कदम उठाए हैं और निगरामी व्यवस्था लागू की है। यह कदम जोड़तोड़ पर लगाम कसने के लिए उठाया गया है। सूचीबद्धता के दिन एक घंटे चलने वाली प्रक्रिया को प्री-ओपन कॉल ऑक्शन सेशन कहा जाता है और इस दौरान बाजार के प्रतिभागी विशिष्ट कीमत पर बोली लगाते हैं और शुरुआती कीमत तय करने लिए उनसे मैचिंग की जाती है।

आईपीओ के कुछ निश्चित मामलों और दोबारा सूचीबद्धता वाले शेयरों में बाजार नियामक ने पाया कि कॉल ऑक्शन के दौरान काफी बड़े वॉल्यूम के साथ ऊंची कीमत पर ऑर्डर दिए गए और सत्र की समाप्ति से ठीक पहले इन ऑर्डरों का बड़ा हिस्सा रद्द कर दिया गया।

इससे मांग-आपूर्ति का गलत आंकड़ा सामने आया। लिहाजा शेयर की कीमतों को लेकर संभावित जोड़तोड़ सामने आई। यह कीमत आम निवेशक के लिए अहम होती है। इससे निपटने के लिए सेबी ने ऑर्डर एंट्री की अवधि के दौरान सत्र को अचानक बंद करने की व्यवस्था लागू की है। सेबी ने कहा कि ऑर्डर देने के आखिरी 10 मिनट के दौरान यानी 35 वें और 45 वें मिनट के बीच सत्र को रैंडम आधार पर बंद कर दिया जाएगा। सिस्टम ही रैंडम तरीके से सत्र को बंद करेगा।

इसके जरिए बाजार नियामक ने ऑर्डर रद्द होने या झूठी मांग के मामले से निपटना चाहता है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंजों को निर्देश दिया गया है कि अगर किसी खास क्लाइंट की रद्द मात्रा या वैल्यू सत्र के दौरान रद्द हुई कुल मात्रा का 5 फीसदी से ज्यादा हो या उस एकल ऑर्डर का 50 फीसदी से ज्यादा रद्द कर दिया गया हो तो उसे अलर्ट भेजा जाए।

ऐसे रद्द आर्डर या कीमतों में संशोधन पर स्टॉक एक्सचेंज जवाब-तलब कर सकता है। बोली के लिए रियल टाइम डेटा वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

उचित कीमत की राह

मौजूदा प्रक्रिया

- शुरुआती दिन के उतार-चढ़ाव को दूर करने के लिए एक घंटे का सत्र
- पहले 45 मिनट ऑर्डर के लिए बोली संशोधित या रद्द की जा सकती है पर इसका क्रियान्वयन नहीं होगा
- 9.45 से 9.55 के बीच ऑर्डर की मैचिंग व क्रियान्वयन। इक्विलिब्रियम प्राइस तय करना
- रेग्युलर ट्रेडिंग शुरू होने से पहले पांच मिनट का ब्रेक
- इक्विलिब्रियम प्राइस पर 5 फीसदी या 20 फीसदी की ट्रेडिंग लिमिट जो इश्यू के आकार पर निर्भर करती है

नया प्रस्ताव

- 35 से 45 मिनट के बीच अचानक (रेंडमली) ऑर्डर की एंट्री बंद
- अगर रद्द मात्रा कुल रद्द आर्डर 5 फीसदी से ज्यादा हो तो एक्सचेंज भेजेगा अलर्ट
- अगर किसी एक क्लाइंट के 50 फीसदी से ज्यादा ऑर्डर रद्द हों तो उसे जाएगा अलर्ट
- ऐसे रद्द करने या संशोधन के लिए एक्सचेंज मांगेंगे सफाई
- बोली के मामले में एक्सचेंजों की वेबसाइट पर रियल टाइम डेटा उपलब्ध होगा
- तीन महीने में लागू होगा नया नियम

एमक्योर फार्मा को सार्वजनिक निर्गम की मंजूरी मिली

सोहिनी दास
मुंबई, 20 जून

पुणे की एमक्योर फार्मास्युटिकल्स को आईपीओ लाने के लिए बाजार नियामक सेबी से मंजूरी मिल गई है। इस आईपीओ में 800 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और प्रवर्तकों तथा मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 1.36 करोड़ इक्विटी शेयरों का ओएफएस शामिल है। मामले से अवगत सूत्रों का कहना है कि आईपीओ एक महीने में आ सकता है।

डीआरएचपी के अनुसार निर्गम से प्राप्त रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्य के लिए किया जाएगा। एमक्योर ने पिछले साल दिसंबर में डीआरएचपी सौंपा था और उसे पिछले सप्ताह नियामक से मंजूरी मिली है।

एमक्योर फार्मा ने अगस्त 2021 में अपने आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए थे, जिसमें 1,100 करोड़ रुपये के नया निर्गम और 1.8 करोड़ इक्विटी शेयरों के ओएफएस की रूपरेखा थी। बाजार सूत्रों के अनुसार उस समय फंड जुटाने का लक्ष्य लगभग 4500-5000 करोड़ रुपये होने का अनुमान था। कंपनी को दिसंबर 2021 में भी आईपीओ योजनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए सेबी की मंजूरी मिल भी गई थी। लेकिन उसने तब आईपीओ पेश नहीं किया था।

30 सितंबर, 2023 को एमक्योर पर कुल बकाया समेकित आधार पर 2012.8 करोड़ रुपये था। आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल सभी या कुछ कर्ज राशि या ब्याज चुकाने में किया जाएगा। प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह के सदस्य (सतीश रमनलाल मेहता और सुनील रजनीकांत मेहता समेत) ओएफएस में 49.8 लाख इक्विटी शेयर बेचने की तैयारी कर रहे हैं। अरुणकुमार पुरुषोत्तमलाल खन्ना, बर्जिस मीनू देसाई और सोनाली संजय मेहता जैसे अन्य शेयरधारक भी इस ओएफएस में हिस्सा लेंगे।

फार्मारैक के अनुसार, एमक्योर (अपनी इकाई जुवेंटस के साथ) को मई 2024 तक घरेलू दवा बाजार में 12वां स्थान हासिल था। उसके उत्पाद पोर्टफोलियो में ओरल, इंजेक्टीबल्स, बायोथेरेप्यूटिक्स शामिल हैं और उसकी मौजूदगी भारत, यूरोप और कनाडा समेत 70 देशों में है।

लेखाजोखा

- आईपीओ में 800 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों का निर्गम और प्रवर्तकों द्वारा 1.36 करोड़ इक्विटी शेयरों का ओएफएस शामिल
- रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और अन्य कंपनी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा
- 30 सितंबर, 2023 को एमक्योर पर कुल बकाया समेकित आधार पर 2012.8 करोड़ रुपये था

सेंसेक्स, एफटीएसई में आज से बदलाव

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) और इंडेक्स फंड अपने-अपने पोर्टफोलियो को शुक्रवार को दोबारा संतुलित करेंगे क्योंकि सेंसेक्स व एफटीएसई सूचकांकों में बदलाव की घोषणा हुई है। विश्लेषकों ने कहा कि पैसिव फंड विप्रो के 17 करोड़ डॉलर के शेयर बेचेंगे क्योंकि सेंसेक्स से इसे हटा दिया गया है। वहीं अदाणी पोर्ट्स ऐंड एसईजेड में 25.9 करोड़ डॉलर की खरीदारी होगी। नुवामा ने एक नोट में कहा, एफटीएसई सूचकांकों में बदलाव के कारण भारत को शुक्रवार को 25 करोड़ डॉलर का शुद्ध विदेशी निवेश हासिल होगा।
बीएस

एनएसई ने टूरिज्म इंडेक्स पेश किया

एनएसई इंडिसेज ने थीमेटिक इंडेक्स निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स पेश किया है। इस इंडेक्स में 17 कंपनियां होंगी, जो सीधे तौर पर यात्रा व पर्यटन उद्योग से जुड़ी हुई हैं। इंटरग्लोब एविएशन और इंडियन होटल्स का इंडेक्स में सबसे ज्यादा भारांक है, जिसके बाद आईआरसीटीसी और जीएमआर एयरपोर्ट्स का स्थान है।
बीएस

अलायड ब्लेंडर्स का निर्गम 25 को

अलायड ब्लेंडर्स ऐंड डिस्टिलर्स का 1,500 करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम 25 जून को खुलकर 27 जून को बंद होगा। इसका कीमत दायरा 267 से 281 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कीमत दायरे के ऊपरी स्तर पर कंपनी का मूल्यांकन 7,860 करोड़ रुपये बैठता है। कंपनी की योजना आईपीओ में 1,000 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करने की है। अलायड ब्लेंडर्स भारत निर्मित विदेशी शराब की अग्रणी निर्माता है। कंपनी के पास ऑफिसर्स चॉइस, ऑफिसर्स चॉइस ब्लू और स्टर्लिंग रिजर्व आदि ब्रांड का स्वामित्व है। आईपीओ के बाद कंपनी में प्रवर्तक शेयरधारिता 100 फीसदी से घटकर 89.91 फीसदी रह जाएगी। दिसंबर 2023 में समाप्त नौ महीने की अवधि में कंपनी ने 4.23 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ और 5,911 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है।
बीएस

होल्डिंग फर्मों की कीमत खोज के लिए व्यवस्था शुरू

खुशबू तिवारी
मुंबई, 20 जून

बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को निवेश होल्डिंग कंपनियों के मूल्य की खोज के लिए विशेष कॉल नीलामी के लिए व्यवस्था की घोषणा की। इसमें कोई कीमत दायरा नहीं होगा।

होल्डिंग कंपनियों या 'होल्डको' का अपना खुद का परिचालन नहीं होता है, लेकिन उनकी अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों सहित दूसरी परिसंपत्तियों में हिस्सेदारी होती है। इनका ज्यादातर निवेश अपनी ही समूह कंपनियों में होता है। भारतीय बाजार में करीब 70 सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनियां हैं।

ये आम तौर पर अपनी होल्डिंग के आंतरिक मूल्य से ज्यादा छूट पर कारोबार करती हैं। सेबी का नया ढांचा इस अंतर को दूर करने की कोशिश करेगा।

पात्र होल्डिंग कंपनियों के लिए स्टॉक एक्सचेंज 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ विशेष कॉल नीलामी शुरू करेंगे। इस अग्रिम सूचना में कंपनी की संपूर्ण बुक वैल्यू, सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश पर आधारित बुक वैल्यू और नई पुनर्खरीद कीमत का विवरण शामिल होगा। प्रत्येक होल्डिंग कंपनी के लिए विशेष कॉल नीलामी वर्ष में केवल एक बार ही कराई जाएगी। इस तरह का पहला सत्र अक्टूबर में होगा।

ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ मंजूर

इलेक्ट्रिक दोपहिया विनिर्माता ओला इलेक्ट्रिक को सेबी से आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई है। सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के मुताबिक, इनके आईपीओ संबंधी दस्तावेज के मसौदे को 10 जून को स्वीकृति मिल गई है। आईपीओ में 5,500 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे व प्रवर्तकों एवं निवेशकों के पास मौजूद 9.52 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश की जाएगी।
भाषा

NSE

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: "एक्सचेंज प्लाजा", सी–१, ब्लॉक जी, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – ४०० ०५१, महाराष्ट्र, भारत

सार्वजनिक सूचना

सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ के विनियम ३२(३) के अनुसार कंपनियों के इक्विटी शेयरों की अनिवार्य असूचीबद्धता के लिए सार्वजनिक सूचना.

सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ ('असूचीबद्धता विनियम') के विनियम ३२(३) के अनुसार और प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, १९५६ की धारा २१(ए) के तहत बनाए गए नियमों और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एक्सचेंज") के नियमों, उपनियमों और विनियमों के अनुसार, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एक्सचेंज निम्नलिखित कम्पनियों को असूचीबद्ध करने का प्रस्ताव करता है, क्योंकि उक्त कम्पनियों ने, अन्य बातों के साथ–साथ, अपनी प्रतिभूतियों को असूचीबद्ध करने के लिए आधार बना लिए हैं अर्थात्, उक्त कंपनियों की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, २०१५ के विभिन्न प्रावधानों और इस संबंध में सेबी/एक्सचेंज द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों का अनुपालन न करने के कारण छह महीने से अधिक समय से निलंबित है।

एक्सचेंज ने कंपनी को एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार अंतिम ज्ञात पते और पंजीकृत ईमेल पते पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें उक्त कंपनियों से **कारण बताओ नोटिस** जारी करके पूछा गया है कि कंपनी के इक्विटी शेयरों को एक्सचेंज से अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध क्यों न कर दिया जाए। हालांकि, कम्पनियों को उनके पंजीकृत पते पर जारी कारण बताओ नोटिस डिलीवर हुए बिना वापस आ गए हैं। एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार कंपनियों के नाम और उनका अंतिम ज्ञात पता नीचे दिया गया है:

क्रमांक	कंपनी	*कंपनी का पंजीकृत पता
१.	एस.एस. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स लिमिटेड	फ्लैट नंबर: १५, जब्बार बिल्डिंग, बेगमपेट, हैदराबाद, तेलंगाना –५०० ०१६
२.	पेंटा गोल्ड लिमिटेड	२२२४, मानेक चौक, पुराने शेयर बाजार के सामने, अहमदाबाद– ३८० ००१

*पते एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध हैं।

अनिवार्य असूचीबद्धता के परिणाम निम्नलिखित हैं:

- उपरोक्त कंपनियों का स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना बंद हो जाएगा। इन कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज के प्रसार बोर्ड में डाल दिया जाएगा।
- असूचीबद्धता विनियमों के विनियम ३४ के अनुसार,

१. असूचीबद्ध कंपनी, इसके पूर्णकालिक निदेशक, प्रतिभूति कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, इसके प्रवर्तक, और इनमें से किसी के द्वारा प्रवर्तित की गई कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार तक पहुंच नहीं बनाएंगी या किसी इक्विटी शेयर को सूचीबद्ध करने की मांग नहीं करेंगी या ऐसी असूचीबद्धता की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार में मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेंगी।

२. किसी कंपनी के मामले में जिसका उचित मूल्य धनात्मक है–

ए. ऐसी कंपनी और डिपॉजिटरी प्रवर्तक/प्रवर्तकों के समूह द्वारा रखे गए किसी भी इक्विटी शेयर और लाभांश, अधिकार, बोनस शेयर, विभाजन आदि जैसे कॉर्पोरेट लाभों का बिक्री, गिरवी आदि के माध्यम से हस्तांतरण नहीं करेंगे, प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह द्वारा रखे गए सभी इक्विटी शेयरों पर तब तक रोक रहेगी, जब तक कि ऐसी कंपनी के प्रवर्तक इन विनियमों के विनियम ३३ के उप–विनियम (४) के अनुपालन में सार्वजनिक शेयरधारकों को बाहर निकलने का विकल्प प्रदान नहीं करते हैं, जैसा कि संबंधित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रमाणित किया गया है;

बी. अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध की गई कंपनी के प्रवर्तक, पूर्णकालिक निदेशक और प्रतिभूति कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भी तब तक किसी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक बनने के लिए पात्र नहीं होंगे, जब तक कि खंड (ए) में उल्लिखित के अनुसार बाहर निकलने का विकल्प प्रदान नहीं किया जाता है।

- असूचीबद्धता विनियमों के विनियम ३३ के अनुसार,

१. जहां किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा असूचीबद्ध किया जाता है, वहां मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता (मूल्यांकनकर्ताओं) की नियुक्ति करेगा जो असूचीबद्ध किए गए इक्विटी शेयरों का उचित मूल्य निर्धारित करेंगे।

२. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ताओं का एक पैनल गठित करेगा और उक्त पैनल में से उप–विनियम (१) के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किए जाएंगे।

३. असूचीबद्ध किए गए इक्विटी शेयरों का मूल्य सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ के विनियम २० के उप–विनियम (२) में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया जाएगा

४. कंपनी के प्रवर्तक, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से असूचीबद्धता की तारीख से तीन महीने के अंदर, मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान करके सार्वजनिक शेयरधारकों से असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करेंगे, बशर्ते कि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास अपने शेयर रखने का विकल्प हो।

५. यदि विनियम ३३ के उप–विनियम (३) के अनुसार देय मूल्य का भुगतान विनियम ३३ के उप–विनियम (४) के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के अंदर सभी शेयरधारकों को नहीं किया जाता है, तो प्रवर्तक उन सभी शेयरधारकों को दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो अनिवार्य असूचीबद्धता ऑफर के अंतर्गत अपने शेयर पेश करते हैं।

कोई भी व्यक्ति जो प्रस्तावित असूचीबद्धता से असंतुष्ट हो, **वह इस सूचना के १५ कार्य दिवसों के अंदर यानी १२ जुलाई २०२४ को या उससे पहले** एक्सचेंज की असूचीबद्धता समिति के समक्ष लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन (यदि कोई हो) दे सकता है।

अभ्यावेदन देने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के पूर्ण संपर्क विवरण (ईमेल आईडी, पता और फोन नंबर) के साथ अभ्यावेदन निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए:

असूचीबद्धता समिति, सूचीबद्धता विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाजा, सी–१, ब्लॉक–जी, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१। संपर्क नंबर: +९१ २२ २६५९८१०० (३२०१४), ई–मेल: vgandhi@nse.co.in, delisting@nse.co.in के साथ प्रतिलिपि dl-insp-enf-delisting@nse.co.in पर. अभ्यावेदन अनिवार्य रूप से उपरोक्त निर्दिष्ट ईमेल पते पर ईमेल किया जाना चाहिए। किसी भी गुमनाम अभ्यावेदन को वैध नहीं माना जाएगा।

कंपनियों को निर्देश दिया जाता है कि वे **१२ जुलाई २०२४ तक या उससे पहले** उपरोक्त कंपनियों के प्रवर्तक/निदेशक के विवरण अपडेट करें। उपरोक्त सूचीबद्ध कंपनियों के प्रवर्तक/निदेशक से भी अनुरोध किया जाता है कि वे उपरोक्त टेलीफोन नम्बरों और ईमेल पते पर तत्काल एक्सचेंज से संपर्क करें।

स्थान: मुंबई
दिनांक: २१ जून, २०२४

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

Nifty50

सॉवरिन फंडों को एआईएफ नियमों से अलग रखा जाए

रॉयटर्स
नई दिल्ली, 20 जून

भारत सरकार ने आरबीआई से कहा है कि सॉवरिन फंडों को वैकल्पिक निवेश फंडों (एआईएफ) में निवेश से जुड़े नए सख्त नियमों से छूट दी जाए। एक फंड अधिकारी और दो सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। दिसंबर में आरबीआई ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से एआईएफ निवेश (जिसके तहत सॉवरिन फंड भी आते हैं) के लिए प्रावधान बढ़ाने को कहा था बशर्ते कि उन परियोजनाओं के लिए ऋणदाता भी हैं जिनमें एआईएफ निवेश कर रहे हैं।

ऋणों की एवरग्रीनिंग (थोड़ा ऋण चुकाना और फिर ले लेना) रोकने के लिए कड़े किए गए नियमों में मार्च के अंत में आंशिक ढील दी गई थी। सरकार ने 'सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य' का हवाला देते हुए आरबीआई को पत्र लिखकर सॉवरिन समर्थित फंडों के लिए विशेष छूट के लिए कहा है, जिनमें फंसी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की मदद के लिए स्थापित फंड -स्पेशल विंडो फॉर अफॉर्डेबल ऐंड मिड-इनकम हाउसिंग भी शामिल है।

एक फंड के अधिकारी ने केंद्रीय बैंक के साथ सरकार की बातचीत की पुष्टि की है, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं दी। आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने भी रॉयटर्स के ईमेल का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया है।

रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं के लिए ऋण मुहैया कराने के लिए 2019 में स्थापित एसडब्ल्यूएएमआईएच (स्वामी) का प्रबंधन एसबीआईकैप वेंचर्स करती है। एसबीआईकैप वेंचर्स सरकार के स्वामित्व वाले भारतीय स्टेट बैंक की पूर्ण स्वामित्व इकाई है। एसबीआई भी इस फंड में एक बड़ा निवेशक है। बैंक ने 31 मार्च 2024 में समाप्त वर्ष में अपने एआईएफ निवेश के खिलाफ 1.2 अरब रुपये का प्रावधान किया। एसबीआईकैप वेंचर्स ने भी रॉयटर्स के ईमेल का तुरंत जवाब नहीं दिया है।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि ये नियम बैंकों को स्वामी में निवेश से सतर्क कर सकते हैं क्योंकि बैंकों का निवेश उन परियोजनाओं में होगा जिन्हें फंड बचाने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि आरबीआई के नियमों से बैंकों के ऊंचे प्रावधान को बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार के सुझाव के आधार पर केंद्रीय बैंक 'मामला-दर-मामला आधार' पर सॉवरिन फंडों को छूट देने पर विचार कर सकता है।

सरकार का पत्र

- सरकार ने 'सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य' का हवाला देते हुए आरबीआई को पत्र लिखकर सॉवरिन समर्थित फंडों के लिए विशेष छूट के लिए कहा है
- इसमें फंसी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की मदद के लिए स्थापित फंड - स्पेशल विंडो फॉर अफॉर्डेबल ऐंड मिड-इनकम हाउसिंग भी शामिल है

निर्यात बढ़ने से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को मिली मदद

राम प्रसाद साहू
मुंबई, 20 जून

देश में ज्यादा कारोबार करने वाली सूचीबद्ध टायर कंपनियों ने पिछले तीन महीनों में बेंचमार्क के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन किया, लेकिन निर्यातक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज कमजोरी के बीच मजबूती से आगे बढ़ने में कामयाब रही है।

ऑफ-हाइवे सेगमेंट के टायर का निर्यात करने वाली बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ने इस अवधि में 43 प्रतिशत रिटर्न हासिल किय, जबकि एमआरएफ और अपोलो टायर्स के लिए यह 5 से 10 प्रतिशत के बीच रहा। मार्च तिमाही में अनुमान से बेहतर प्रदर्शन के अलावा, निर्यात और बाजार भागीदारी वृद्धि से कंपनी को प्रतिस्पर्धियों से आगे रहने में मदद मिली।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज में विश्लेषकों ऋषि वोरा और प्रवीण पोरेड्डी का कहना है कि एमआरएफ, सिएट और अपोलो टायर्स के लिए मार्च तिमाही कमजोर रही थी, क्योंकि उन्हें वाणिज्यिक वाहन खंड में टायर रीप्लेसमेंट के लिए कमजोर मांग और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पोंसिबिलिटी (ईपीआर) पर अमल की वजह से सुस्ती का सामना करना पड़ा।

अपोलो और सिएट ने ईपीआर के साथ साथ कच्चे माल की बढ़ती लागत की भरपाई के लिए कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है। हालांकि एमआरएफ ने अभी किसी तरह की कीमत वृद्धि की घोषणा नहीं की है।

इसके विपरीत, बालकृष्ण ने बिक्री वृद्धि, उत्पाद मिश्रण, सख्त लागत नियंत्रण और अनुकूल विदेशी मुद्रा की मदद से मजबूत तिमाही दर्ज की।

बिक्री 13 प्रतिशत बढ़कर 82,085 टन पर रही और कंपनी ने तिमाही में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2,673 करोड़ रुपये की शुद्ध बिक्री दर्ज की। मार्च तिमाही में परिचालन मुनाफा मार्जिन 24.9 प्रतिशत पर मजबूत रहा, जो एक साल पहले के मुकाबले 460 आधार अंक और तिमाही आधार पर 125 आधार अंक अधिक है। बिक्री वृद्धि, मार्जिन वृद्धि और अन्य आय में तेजी आने से कंपनी को 481 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज करने में मदद मिली, जो एक साल पहले के मुकाबले 88 प्रतिशत और तिमाही आधार पर 56 प्रतिशत अधिक है।

मार्च तिमाही में अनुमान से बेहतर प्रदर्शन के अलावा, निर्यात और बाजार भागीदारी वृद्धि से कंपनी को प्रतिस्पर्धियों से आगे रहने में मदद मिली

कंपनी के टायरों का इस्तेमाल कृषि, खनन क्षेत्रों और उद्योगों में किया जाता है और उसकी बाजार भागीदारी 5-6 प्रतिशत है तथा उसने इसे बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। विविधता लाने के प्रयासों के अलावा, गैर-कृषि टायर सेगमेंट से जुड़ी कंपनियों की जरूरतें पूरी करने से भी बाजार भागीदारी में इजाफा हो सकता है। जहां पिछले दो साल सुस्त रहे और बिक्री 300,000 टन से नीचे रही, लेकिन मार्च तिमाही में सुधार के संकेत दिखे। हालांकि कंपनी भू-राजनीतिक जोखिमों को ध्यान में रखते हुए उपयोगकर्ता मांग पर सतर्क बनी हुई है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2024-26 के दौरान बिक्री 9.4 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2026 तक 350,000 टन रहने का अनुमान जताया है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विश्लेषकों शशांक कनोड़िया और मनीषा केसरी का मानना है कि बालकृष्ण मजबूत मार्जिन, प्रतिफल अनुपात प्रोफाइल और दमदार बैलेंस शीट की वजह से अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग है। ब्रोकरेज ने पिछले महीने के दौरान इसकी कीमत में आई करीब 25 प्रतिशत की तेजी को ध्यान में रखते हुए 'होल्ड' रेटिंग दी है।